न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/177/2018	06—12—2018	12—12—2019

01— रूस्तम पुत्र अमरसिंह जाति मेव

02— रोशन पुत्र अमरसिंह जाति मेव

03— फजरू पुत्र अमरसिंह जाति मेव निवासी ग्राम नंगली पठान तहसील किशनगढबास जिला अलवर

—अपीलांट

बनाम

01— तहसीलदार किशनगढ़बास, जिला अलवर

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार किशनगढ़बास दिनांक 05.11.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 46/2018

उपस्थितः—

01—श्री राजेश कुमार गुप्ता —वकील अपीलाण्ट

—:निर्णयः—

अपीलांट्स ने यह अपील तहसीलदार किशनगढ़बास के आदेश दिनांक 05.11.2018 जिसके द्वारा अपीलांट्स को ग्राम नंगली पठान की सरकारी बंजड़ भूमि के आराजी खसरा नम्बर 94 रकबा 0.34 है0 में से 0.25 है0, किश्म गै0मु0नदी खसरा नम्बर 566/649 रकबा 0.14 है0 में से 0.10 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम नंगली पठान की सरकारी बंजड़ भूमि के आराजी खसरा नम्बर 94 रकबा 0.34 है0 में से 0.25 है0, किश्म गै0मु0नदी खसरा नम्बर 566/649 रकबा 0.14 है0 में से 0.10 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 27.09.2018 को अपीलांट्स को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह के सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट्स को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट्स को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांट्स को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत शपथ—पत्र का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलांट्स द्वारा दिनांक 05.12.2018 को विवादित आराजी पर कब्जा नहीं बताया है तथा रिपोर्ट तहसीलदार किशनगढ़बास द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 30.09.2019 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलांट्स का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलांट्स को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12—12—2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)